न्यायालय अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त, अजमेर

(निर्णय बईजलास गजेन्द्र सिंह राठौड, आर0ए0एस0 अतिरिक्त संभागीय आयुक्त,अजमेर)

एल0आर0 अपील संख्या :-189/2020/कैम्प टोंक

1. घासीराम पुत्र हीरा जाति बेरवा निवासी रहीमपुरा उर्फ धोलीतलाई तहसील व जिला टोंक।
2. श्रीमति गुलाब बेवा हीरा जाति बेरवा निवासी रहीमपुरा उर्फ धोली तलाई तहसील व जिला टोंक।

-अपीलांट्स

बनाम

1. हिरा पुत्र अम्बालाल कोम मीणा निवासी ग्राम बिचपुड़ी, तहसील व जिला टोंक।
2. तहसीलदार टोंक

-रेस्पोडेंट्स

अपील अंतर्गत धारा 75 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम-1956 विरूद्ध निर्णय न्यायालय जिला कलक्टर टोंक दिनांक 10.06.2008 उनवानी प्रकरण हीरा बनाम घासीराम आदि

उपस्थित अभि0:-

1. अपीलांट अभि0- श्री पी0के0जैन, श्री पीयूष जैन
2. रेस्पोडेंट अभि0-श्री श्यामसुन्दर
3. राजकीय अभि0- अनुपस्थित

निर्णय **दिनांकः-17.02.2023**

संक्षिप्त में अपील के तथ्य इस प्रकार है कि अपीलांट संख्या 1 के पिता व अपीलांट संख्या 2 के पति हीरा पुत्र नानगा निवासी रहीमपुरा उर्फ धोलीतलाई तहसील व जिला टोंक को ग्राम बमोर की भूमि खसरा नम्बर 1595/1 में 3 बीघा 7 बिस्वा भूमि का आवंटन तहसीलदार टोंक द्वारा दिनांक 02.07.1969 को किया गया। रेस्पोडेंट संख्या एक द्वारा आवंटन को विधिविरूद्ध बताते हुए अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर टोंक में एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर आवंटन को निरस्त कराने हेतु निवेदन किया। उक्त प्रकरण 17/2006 नम्बर से दर्ज किया गया। जिस पर बाद सुनवाई दिनांक 10.06.2008 को प्रार्थना पत्र को सही मानते हुए आवंटन निरस्त कर दिया गया। उक्त निर्णय दिनांक 10.06.2008 द्वारा जिला कलक्टर टोंक से व्यथित हेाकर वर्तमान अपील, अपीलांट द्वारा तत्समय न्यायालय आरएए टोंक में 63/2008 नम्बर पर दिनांक 31.07.2008 को दर्ज की गई है। उक्त पत्रावली दिनांक 27.01.2020 को राजस्व ग्रुप-6 विभाग की अधिसूचना दिनांक 17.10.2019 के अनुसरण में सुनवाई हेतु क्षेत्राधिकार होने से न्यायालय हाजा को प्राप्त हुई है। जिसे न्यायालय हाजा में दिनांक 18.03.2020 को प्रकरण संख्या 189/2020 पर दर्ज किया गया।

अपील के साथ अपीलांट द्वारा प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अवधि अधिनियम, स्थगन प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत किया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Gajendra Singh Rathore
Date: 2023.08.08 10:22:29 IST
Reason: Self Attested

बहस सुनी गई। बहस के दौरान वकील अपीलांट उपस्थित रहे। वकील रेस्पोडेंट अनुपस्थित रहें। बहस में वकील अपीलांट ने बताया कि हमारा आवंटन दिनांक 02.07.1969 फ्रॉड के आधार पर जिला कलक्टर टोंक द्वारा खारिज किया गया जो कि आवेदन पत्र में बैरवा की जगह जाति तेली लिखी गई थी। जबकि आवेदन पत्र हीरा द्वारा नही भरा गया था। राजस्व कार्मिकों द्वारा भरा गया था। हीरा की मृत्यु हो चुकी है। आवेदन पत्र पर अंगूठा निशानी लगायी गई थी। आवंटन के समय

सैटलमेंट ऑपरेशन चल रहा था। ए0एस0ओ0 के समक्ष गैर खातेदारी बाबत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया था। हमे गैर खातेदारी पर्चा दिया गया। खातेदारी भी दी गई। बैंक से लोन प्राप्त किया है। 37 वर्ष बाद सन् 2006 में आवंटन को चेलेंज किया गया। उनके द्वारा एआईआर सुप्रीमकोर्ट 1994 पेज 1128 का हवाला दिया है। जिसमें अल्पवयस्क को भूमि आवंटन किया गया था को सुप्रीम कोर्ट में बहाल रखा है। जिला कलक्टर टोंक के आदेश में जाति गलत होना , कहीं अंगूठा के निशान , कहीं हस्ताक्षर होने को आधार माना है। जो कि कानून का उपहास है। आवंटन के समय आवंटी भूमिहीन बोनाफाइट कृषक था। अंगूठे या हस्ताक्षर की जांच नहीं की गई। बहस के दौरान वकील अपीलांट ने यह बताया कि फ्रॉड के आधार पर या नियमों के विपरीत हुए आवंटन को निरस्त किया जा सकता है। रेस्पोडेंट ने जमीन को छोटी पट्‌टी के रूप में बताया यदि उसकी जमीन पास में है तो खसरा नम्बर बताता। उसका कोई आवेदन पैंडिग नहीं था। तहसीलदार की मौका रिपोर्ट दिनांक 09.09.2007 में हमारा कब्जा बताया है। विवादित भूमि छोटी पट्‌टी में नहीं आती है। विपक्षी को जानकारी देना जरूरी नहीं था। ए0एस0ओ0 के आदेश की अपील 14(4) के तहत नहीं हो सकती है। उनके द्वारा निम्न न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत किये गयें–आरबीजे/11/पेज 418 और पेज 601 तकनिकी गलती या मात्र पिजम्पशन से आवंटन निरस्त नहीं किया जा सकता है। हमारे द्वारा काश्त की जा रही है। आरबीजे 2010 पेज 608 और 157 बाद अलॉटमेंट कोई कब्जा करता है तो आवंटन निरस्त नहीं किया जा सकता है, अतिक्रमी के लम्बे समय के कब्जे के बावजूद आवंटन निरस्त नहीं किया जा सकता है। बेदखली का दावा लाते। भूमि आवंटन के बाद सुपुर्दगीनामा में हीरा की जाति बैरवा ही बतायी गई है। आरबीजे 2016 पेज 418 हाईकोर्ट खातेदारी के बाद आवंटन निरस्त नहीं किया जा सकता है। आवंटन से पूर्व यदि किसी का कब्जा भी हो तो भी भूमि उक्यूपाईड भूमि नहीं मानी जायेगी। अनइक्यूपाईड भूमि ही माना जायेगा। गैर खातेदारी से खातेदारी भी सैटलमेंट विभाग द्वारा दी गई है। इनके द्वारा खातेदारी हमे चार बीघा की दी गई है। अपील स्वीकार की जायें और अपीलाधीन निर्णय को खारिज किया जायें।

सर्वप्रथम अपीलांट द्वारा प्रस्तुत धारा 5 मियाद अवधि अधिनियम प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया गया। प्रार्थी के अनुसार जिला कलक्टर टोंक का निर्णय दिनांक 10.06.2008 है। जिसकी नकल हेतु आवेदन दिनांक 04.07.2008 को पेश किया गया था तथा नकल दिनांक 16.07.2008 को मिली है। इसके बाद शीघ्र अपील प्रस्तुत की गई है। अपीलांट द्वारा दिनांक 25.07.2008 को अपील आरएए टोंक न्यायालय में प्रस्तुत करना पाया जाता है। नकल प्राप्त होने के बाद शीघ्र ही इनके द्वारा अपील प्रस्तुत कर दी गई थी। अपील को अंदर मियाद शुमार किया जाता है।

अधीनस्थ न्यायालय पीठासीन अधिकारी द्वारा दिनांक 20.08.2008 को विवादित भूमियों हेतु यथास्थिति के आदेश जारी किये गये थे।

बहस सुनी गई। बहस बिन्दुओं पर मनन किया गया। अपीलाधीन निर्णय से संबंधित पत्रावली का अवलोकन किया गया। जिला कलक्टर टोंक के निर्णय दिनांक 10.06.2008 के ऑपरेटिव पार्ट का अवलोकन किया गया। **उपरोक्त तथ्यों एवं विवेचन से स्पष्ट है कि विवादित आवण्टन प्रारम्भ से ही फ्रॉड होना प्रतीत होता है। दस्तावेजों में अलॉटी हीरा बैरवा के प्रत्येक हस्ताक्षरों में भिन्नता होने से इस तथ्य की भी पुष्टि होती है कि हीरा पुत्र नानगा बैरवा के नाम किसी अन्य व्यक्ति ने राजस्व कर्मचारियों की मिलिभगत से नाजायज लाभ प्राप्त करने की गर्ज से यह आवंटन कराया गया हो। लिहाजा विवादित आवण्टन निरस्त किया जाना उचित प्रतीत होता है।**

अपीलाधीन निर्णय का अवलोकन किया गया। [illegible] मुख्य रूप से यह बताया कि उसकी भूमि आवंटित भूमि से मिली हुई है। जिस पर रेस्पोडेंट का [illegible] व उसका 60 साल से कब्जा चला आ रहा है तथा उनके द्वारा अपनी [illegible] कर भूमि को काश्त योग्य बनाया है। राजस्व कर्मचारियों से मिलकर उक्त फर्जी तरीके से आवंटन करवा[illegible] गया है। क्योकि भूमि आवंटन के लिए प्रस्तुत आवेंदन में हीरा की जाति तेली लिखी हुई है। कुछ जगह हीरा के अंगूठा निशानी है तथा कुछ

Signature Not Verified
Digitally signed by Gajendra Singh Rathore
Date: 2023.08.08 10:22:29 IST
Reason:.SelfAttested

जगह उसके हस्ताक्षर है। आवंटन शर्तों की पालना न करने से 1974 में अलॉटी द्वारा सहायक भू–प्रबन्ध अधिकारी से गैर खातेदारी प्राप्त की है। जिसका क्षेत्राधिकार उन्हें नहीं था। खातेदारी प्राप्त करते समय 3 बीघा 7 बिस्वा भूमि की जगह 4 बीघा 1 बिस्वा भूमि खातेदारी में प्राप्त कर ली है। उक्त खातेदारी भी सहायक भू-प्रबन्ध अधिकारी टोंक द्वारा दी गई है। जबकि खातेदारी सिर्फ तहसीलदार ही देने के लिए सक्षम है।

अधीनस्थ पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि हीरा बैरवा को दिनांक 02.07.1969 को ग्राम बमोर की आराजी खसरा नम्बर 1595/1 में 3 बीघा 7 बिस्वा भूमि का आवंटन किया गया था। हीरा बैरवा को भूमि का सुपुर्दगीनामा घासी पुत्र मुल्या कुम्हार साकिन बिचपुड़ी के समक्ष दिया गया था। आवेदन फार्म में हीरा बैरवा की अंगूठा निशानी लगी हुई है। सुपुर्दगीनामें में हीरालाल के हस्ताक्षर है। हीरा बैरवा द्वारा दिनांक 19.09.1972 को ए0एस0ओ0 टोंक के यहां एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि उसे अलॉटशुदा भूमि का पर्चा दिया जायें। उक्त प्रार्थना पत्र पर बाद कार्यवाही ए0एस0ओ0 टोंक द्वारा अलॉटी हीरा बैरवा को 3 बीघा 7 बिस्वा भूमि के स्थान पर 4 बीघा 5 बिस्वा की गैर खातेदारी दे दी गई। जबकि गैर खातेदारी का अंकन तहसीलदार द्वारा ही किया जा सकता है। जमाबंदी संवत 2059-62 ग्राम बमोर के अनुसार खाता संख्या नया 751 खसरा नम्बर 1990 रकबा 4 बीघा 1 बिस्वा भूमि नामातंरण संख्या 1521 विरासत दिनांक 20.08.2005 से हिरा की बजाय घासीराम पुत्र हीरा बैरवा, गुलाब बेवा हीरा कौम बैरवा के नाम अंकन स्वीकार किया गया है। मौका पर्चा दिनांक 09.09.2007 पटवारी चन्दलाई एवं गिरदावर घास के अनुसार खसरा नम्बर 1990 रकबा 4 बीघा 1 बिस्वा भूमि साबिक खसरा नम्बर 1595/1 रकबा 2 बीघा 16 बिस्वा एवं 1596 रकबा 1 बीघा 5 बिस्वा से मिलकर बना हुआ है। वर्तमान में खसरा नम्बर 1990 पर घासीराम पुत्र हिरा बैरवा का कब्जाकाश्त है। हाल समय में जोत कर रखी है। उक्त मौका रिपोर्ट के आधार पर यह माना जा सकता है कि भौतिक रूप से भी अपीलांट का विवादित भूमि पर कब्जाकाश्त है। रेस्पोडेंट ने विवादित भूमि को छोटी पट्टी के रूप में मानते हुए तथा अपना खेत उससे जुड़ा हुआ बताते हुए स्वयं को आवंटन हेतु पात्र बताया है। मगर उसके द्वारा कोई दस्तावेजी साक्ष्य इस बाबत प्रस्तुत नहीं किये गये है कि उसकी खातेदारी का कोई खेत आवंटित खसरा नम्बर से जुड़ा हुआ हो। न्यायालय का यह भी मानना है कि अंगूठा एवं हस्ताक्षर से संबंधित कोई जांच अधीनस्थ न्यायालय द्वारा नहीं करवायी गयी है। मगर एएसओ द्वारा किन नियमों को तहत गेर खातेदारी एवं खातेदारी दी गई है। इस बाबत न्यायालय को चिंता है तथा यह न्यायालय के कर्न्सन का विषय है।

हीरा को सहायक भू-प्रबन्ध अधिकारी द्वारा दिनांक 14.03.1974 को प्रकरण संख्या 1518/1972 में इन्द्राज दुरूस्ती के माध्यम से गैर खातेदारी बाबत आदेश जारी किया गया है। जबकि हीरा को मूल आवंटन दिनांक 02.07.1969 को तहसीलदार टोंक द्वारा किया गया था। उक्त आवंटन राजस्थान लेण्ड रेवन्यू काश्त हेतु भूमि आवंटन नियम 1957 के तहत शर्तो पर किया जाता है तथा उसे खसरा नम्बर 1595/1 रकबा 3 बीघा 7 बिस्वा भूमि ही आवंटित की गई है। उक्त आदेश की शर्त नम्बर 2 में यह अंकित है कि प्रार्थी को एक साल की अवधि में 50 प्रतिशत तथा दूसरे वर्ष सम्पूर्ण भूमि काश्त करनी होगी। स्वयं प्रार्थी द्वारा दिनांक 29.09.1972 को जो प्रार्थना पत्र एएसओ टोंक को प्रस्तुत किया गया है। उसमें में भी उसके द्वारा यह अंकित किया हुआ है कि उसे खसरा नम्बर 1595/1 में से पंचायत बमौर मे 3 बीघा 7 बिस्वा भूमि का अलॉट हो चुका है। जिसकी पर्चा भूमि प्रार्थी को अभी तक नहीं मिला है। अतः प्रार्थी को पर्चा दिया जाने की कृपा करें। मगर एएसओ टोंक द्वारा बाद कार्यवाही उसे 3 बीघा [illegible] की जगह 4 बीघा 5 बिस्वा की गैर खातेदारी आवंटित भूमि से ज्यादा क्षेत्रफल की दी गई है। जो उचित नहीं है। गैर खातेदारी देने बाबत अधिकार तहसीलदार का ही है। ना कि भू-प्रबन्ध विभाग। बाद में गैर खातेदारी से खातेदारी भी भू-प्रबन्ध विभाग द्वारा दिया जाना बताया गया है। जो कि उनके क्षेत्राधिकार को विषय नही है। साथ ही आवंटित भूमि से ज्यादा रकबे बाबत गैर खातादारी नहीं दी जा सकती है। जो कि वर्तमान प्रकरण

Signature Not Verified
Digitally signed by Gajendra Singh Rathore
Date: 2023.08.08 10:22:29 IST
Reason: SelfAttested

में सहायक भू-प्रबन्ध अधिकारी द्वारा दी गई है। बिल्कुल उचित नहीं है। जिला कलक्टर टोंक द्वारा सही रूप से अपीलांट की अपील को अपीलाधीन प्रकरण 17/2006 में अपने निर्णय दिनांक 10.06.2008 से खारिज की गई है। अपीलांट चाहे तो नये सिरे से आवंटन अथवा नियमन हेतु सक्षम अधिकारी के समक्ष अनुतोष हेतु चाराजोई कर सकता है। अपील अपीलांट खारिज योग्य है।

क्रियात्मक आदेश

अपील द्वारा अपीलांट खारिज की जाती है। अपीलाधीन निर्णय द्वारा जिला कलक्टर टोंक प्रकरण संख्या 17/2006 उनवानी हीरा बनाम घासी एवं अन्य बाबत आवंटन निरस्तीकरण, आवंटन आदेश दिनांक 02.07.1969 बहक हीरा पुत्र नानगा बैरवा खसरा नम्बर 1595/1 साबिक रकबा 3 बीघा 7 बिस्वा ग्राम बामौर तहसील टोंक अन्तर्गत निर्णय दिनांक 10.06.2008 को यथावत रखा जाता है।

यह आदेश आज दिनांक 17.02.2023 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुना गया।

(गजेन्द्र सिंह राठौड़)
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
अजमेर

Signature Not Verified

Digitally signed by Gajendra Singh Rathore
Date: 2023.08.08 10:22:29 IST
Reason: SelfAttested